



2026:AHC:164045

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26228 वर्ष 2026

संजय

साहनी

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत याचिका माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन द्वारा दिनांक 25.1.2023 को आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 43707 सन् 2022 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी, लेकिन चूंकि माननीय न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने अपना पद छोड़ दिया है और यह पीठ ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही है, इसलिए यह जमानत याचिका आज इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार सिंह और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान की बात सुनी।
3. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे मामले संख्या 118 सन् 2022 में धारा 147, 149, 302, 323 और 504 आईपीसी के तहत, पिपीगंज पुलिस स्टेशन, जिला गोरखपुर में मुकदमे की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत आवेदन है, लेकिन वर्तमान मामले में आवेदक 26.5.2022 से यानी पिछले चार वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक 23 गवाहों में से केवल 9 गवाहों की ही परीक्षण की जा सकी है, इसलिए मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।
5. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि आवेदक किसी भी तरह से मुकदमे में देरी कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख से भी यह स्पष्ट होता है कि घायल सुदीप साहनी के अनुसार, सह-अभियुक्त अनिल साहनी मुख्य अभियुक्त था, जिसने मृतक के सिर स्टंप से प्रहार किया था।
7. इसके बाद वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. उन्होंने आगे निवेदन किया कि अतः, मामले के तथ्यों और आवेदक के चार वर्ष के लंबे कारावास को ध्यान में रखते हुए, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत आवेदन है और आवेदक की ओर से दायर की गई पहली जमानत आवेदन योग्यता के आधार पर पहले ही खारिज कर दी गई है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान मामले में आवेदक पिछले चार वर्षों से अधिक समय से जेल में है और आज तक 23 साक्षियों में से केवल 9 साक्षियों की ही परीक्षण की जा सकी है।
10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि घायल सुदीप साहनी के बयान से यह पता चलता है कि सह-अभियुक्त अनिल साहनी ने मृतक के सिर पर प्रहार किया था।
11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
12. हालांकि, यह आवेदक की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत आवेदन है और उसकी पहली जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान मामले में आवेदक पिछले चार वर्षों से अधिक समय से जेल में है और इससे पता चलता है कि अब तक 23 साक्षियों में से केवल 9 साक्षियों की ही परीक्षण हो सकी है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है और इसके शीघ्र निपटारे की कोई उम्मीद नहीं है।
13. कानून में यह बात स्थापित है कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार अभियुक्त का मौलिक अधिकार है और इसके उल्लंघन पर गंभीर मामलों में भी उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
14. आवेदक के चार साल से अधिक के लंबे कारावास और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है और इस बात का कोई आरोप नहीं है कि आवेदक मुकदमे में देरी कर रहा है, इस न्यायालय के विचार में, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
15. सर्वोच्च न्यायालय ने **साहिल मनोज मचारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 810** के मामले में, पिछले चार साल से जेल में बंद आवेदक द्वारा दायर एस.एल.पी. पर विचार करते हुए शीर्षस्थ न्यायालय ने पैराग्राफ-6 में यह टिप्पणी की :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"6. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि याचिकाकर्ता पर हत्या का आरोप है, लेकिन हमने बार-बार कहा है कि अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, यदि शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो न्यायालय जमानत आवेदन पर उचित रूप से विचार कर सकता है।"

16. इसके अलावा, घायल सुदीप साहनी के बयान से भी यह पता चलता है कि सह-अभियुक्त अनिल साहनी ही वह व्यक्ति था जिसने मृतक के सिर पर ठूंठ से वार किया था।

17. इसके अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

18. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

19. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

20. आवेदक संजय साहनी को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

21. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

5 अगस्त, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।